राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1207/2023

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, स्थानीय शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर रेंज, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.03.2023
आदेश की दिनांक : 04.04.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 04.11.1997 को हुई। अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौली, टोंक में कार्यरत है। अपीलार्थी ने अपनी योग्यता (एम.ए राजनीति विज्ञान 2002) उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर को दिनांक 15.07.2015 को दर्ज करवा दी। दिनांक 30.11.2015 को जारी चयन सूची में व्याख्याता राजनीति विज्ञान पद हेतु अपीलार्थी का नाम नहीं आया है, जब कि अपीलार्थी से कनिष्ठ को दिनांक 17.08.2015 के क्रम संख्या 73, 77 व 79 पर राजनीति विज्ञान के नाम चयन सूची में क्रमशः 399,403 व 406 पर शामिल कर लिया गया। अतः अपीलार्थी का नाम चयन सूची में शामिल करते हुए अपीलार्थी को वर्ष 2015—16 की रिक्ति के विरूद्ध व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा

संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य